न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

केम्प कोर्ट रणसीगांव

पीठासीन अधिकारी :– हरीसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 02/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेंट्स
नरपतसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला–जोधपुर		1. सुल्तानसिंह पुत्र हमीरसिंह 2. विजेसिंह पुत्र हमीरसिंह 3. लिछमणसिंह पुत्र हमीरसिंह 4. तेजसिंह पुत्र हमीरसिंह 5. दौलतसिंह पुत्र हमीरसिंह 6. मदनसिंह पुत्र हमीरसिंह जातियान–राजपूत निवासीगण रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 7. सरपंच ग्राम पंचायत रणसीगांव तहसील बिलाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 809 दिनांक 24.01.1983 द्वारा ग्राम पंचायत रणसीगांव

– – – – –

1.अपीलान्ट की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित

2.रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 की ओर से श्री सी.आर. चौधरी अधिवक्ता

3.रेस्पोडेण्ट संख्या 7 उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 07.06.2017

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है किग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 69 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 55 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 56 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 140 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। यह भूमि अपीलान्ट के पिता हमीरसिंह पुत्र जुंजारसिंह जी की खातेदारी की थी। अपीलान्ट के पिता हमीरसिंह जी सन् 1983 को फौत हो चुके है, उनके पीछे उत्तराधिकारी उनके सात पुत्र अपीलान्ट नरपतसिंह तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 सुल्तानसिंह, विजेसिंह, लिछमणसिंह, तेजसिंह, दौलतसिंह, मदनसिंह है। जब अपीलान्ट के पिता हमीरसिंह जी फौत हुये, तब फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 809 स्वीकृत किया गया, उसमें अपीलान्ट का

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश कप्तानसिंह नाम लिख दिया, जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम नरपतसिंह है। अपीलान्ट अपनी खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि पर अभी 2 माह पहले किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गया और जमाबन्दी की नकल को प्राप्त की। अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि की जमाबन्दी की नकल लेकर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने हेतु बैक मे गया और बैंक मैनेजर को जमाबन्दी की नकल एवं अपना राशनकार्ड, आधारकार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड, विद्युत बिल आदि दस्तावेज बताये तो बैक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर ऋण देने से मना कर दिया और कहा कि जमाबन्दी में आपका नाम कप्तानसिंह लिखा हुआ है तथा अन्य सरकारी दस्तावेज में आपका नाम नरपतसिंह लिखा हुआ है तो अपीलान्ट दिनांक 20.03.2017 को हल्का पटवारी के पास गया और हल्का पटवारी से फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 809 की नकल को दिनांक 20.03.2017 को प्राप्त की तब अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की पूर्ण जानकारी हुई। इस कारण अपीलान्ट ग्राम पंचायत रणसीगांव द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 809 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया और रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 को समन/नोटिस भेजे गये। जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 की ओर से श्री सी.आर. चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 7 सरपंच ग्राम पंचायत की उपस्थिति दर्ज की गयी। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता ने धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया, जो जवाब इस आधार का पेश किया कि पद संख्या 1 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 35, 55, 56, 140 स्थित है। जिसकी खातेदारी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 के पिता हमीरसिंह पुत्र जुंझारसिंह की खातेदारी की थी। अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 के पिता हमीरसिंह जी का देहान्त सन् 1983 में हो गया। उनके पीछे उत्तराधिकारी उनके सात पुत्र सुल्तानसिंह, विजयसिंह, लिछमणसिंह, तेजसिह, दौलतसिंह, मदनसिंह तथा नरपतसिंह हैं। जब अपीलान्ट एवं

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रेस्पोड़ेण्ट संख्या 1 से 6 के पिता हमीरसिंह जी फौत हुए तब फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 809 स्वीकृत किया गया, उसमें अपीलान्ट का लिपिकिय भूलवश या त्रुटिवश नरपतसिंह के स्थान पर कप्तानसिंह नाम लिख दिया, नरपतसिंह को घर पर लाड प्यार से कप्तानसिंह पुकारते है, जबकि नरपतसिंह व कप्तानसिंह एक ही व्यक्ति है। हमीरसिंह जी के उतराधिकारी अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 है इनके अलावा कोई वारिसान नही है। अपीलान्ट के सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, विद्युत बिल आदि दस्तावेज नरपतसिंह नाम से जारी किये हुए है। ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 35, 55, 56, 140 में अपीलान्ट का नाम कप्तानसिंह की जगह नरपतसिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 को कोई आपति नही है।

हमने योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अपीलान्ट का नाम कप्तानसिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने से पूर्व किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की जॉच नही की गयी, अपीलान्ट नरपतसिंह का राशनकार्ड, आधार कार्ड विद्युत बिल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा आदि बने हुए है जिसमें अपीलान्ट का नाम नरपतसिंह दर्ज है, जो एक सरकारी दस्तावेज है। अपीलान्ट ने उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी के विरूद्ध या म्यूटेशन के विरूद्ध कभी कोई अपील आज से पूर्व तहसीलदार के समक्ष पेश नही की गयी है। अपीलान्ट का गलत नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित होने के कारण अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग सरकारी परियोजनार्थ लाभ आदि में नही प्राप्त कर सकता है। इस कारण रेकर्ड में शुद्धी किया जावे। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि जब हमीरसिंह जी फौत हुए तब उनका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 809 स्वीकृत किया गया उस समय लिपिकीय भूलवश या त्रुटिवश नरपतसिंह के स्थान पर कप्तानसिंह नाम लिख दिया गया। हमीरसिंह जी के कोई पुत्र कप्तानसिंह नही था। अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में शुद्धी किया जाता है तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 को कोई आपति नही है।

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हमने पत्रावली एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें विदित होता है कि ग्राम पंचायत रणसीगांव द्वारा म्यूटेशन संख्या 809 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट के दस्तावेजों की कोई जॉच नही की, न ही अपीलान्ट को म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व नोटिस या सूचना दी गयी इस कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड, आधार कार्ड, विद्युत बिल आदि दस्तावेजों में नरपतसिंह पुत्र हमीरसिंह दर्ज है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 हमीरसिंह जी के वारिसान है, उन्होने भी अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में शुद्धी किये जाने की सहमति प्रदान की है इस कारण अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रणसीगांव द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 809 आंशिक रूप से निरस्त किया जाता है तथा रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 69 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 55 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 56 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 140 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा की सयुक्त खातेदारी भूमि में अपीलान्ट का नाम कप्तानसिंह पुत्र हमीरसिंह की जगह नरपतसिंह पुत्र हमीरसिंह राजस्व रेकर्ड में शुद्धी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हरीसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा